



झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। (स्थापना शाखा)

कार्यालय आदेश

EAST SINGHBUM, दिनांक-09/03/2018

संख्या-XIV-7/2017-18-212 (HRMS)/ पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय अंतर्गत कार्यरत वैसे कर्मी जिन्होंने दिनांक-31.12.2015 तक 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हैं, को प्रथम संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिनांक-14.12.2017 को अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहुत की गई। बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के ज्ञापांक-1237/स्था0 दिनांक-14.12.2017 द्वारा निर्गत हैं। इस बैठक में समिति द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981/वि0 दिनांक-01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रथम संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रथम संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

Sr No.	Employee Name -- (Gpf Number)	Current Department	Current Office Current Designation	Date of Initial Joining	Pay Band Grade Pay Basic Pay	Effective Date
1	BASANT KUMAR RAVI -- (20053600263)	> DC OFFICE EAST SINGHBHUM	DHALBHUM SUB DIVISION ,EAST SINGHBUM Peon	30/04/2005	5200-20200 1800 0	30/04/2015
विभागीय दायित्व 03-10-2015 को पूर्ण करने के कारण						
2	BINAY PRABHAT EKKA -- (JSP/COL/322)	> DC OFFICE EAST SINGHBHUM	D C OFFICE EAST SINGHBHUM EAST SINGHBUM Clerk	05/02/2004	5200-20200 2800 0	03/10/2015
विभागीय दायित्व 03-10-2015 को पूर्ण करने के कारण						
3	GOVERDHAN TUDU -- (JSP/RDD/430)	> DC OFFICE EAST SINGHBHUM	DUMARIA BLOCK ,EAST SINGHBUM Clerk	05/02/2004	5200-20200 2800 0	03/10/2015
विभागीय दायित्व 03-10-2015 को पूर्ण करने के कारण						
4	KUSHAL BHUMIJ -- (JSP/FSC/31)	> DC OFFICE EAST SINGHBHUM	District Consumer Forum ,EAST SINGHBUM PEON/NIGHT GUARD	04/07/1997	5200-20200 1800 0	01/09/2008

1. सभी कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित कर्मी एम0ए0सी0पी0 योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तथा इसके लिए वे सर्वथा योग्य हैं। यदि इसमें विभिन्नता का मामला आता है तो वेतन निर्धारण के पूर्व वे पुनः जिला स्तर से निर्देश प्राप्त करेंगे। यह कार्यालय प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
2. स्वीकृत एम0ए0सी0पी0 का वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त ही संबंधित कर्मियों को देय तिथि से वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य होगा।
3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा तथा पदधारक की वरीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद भी पदधारक मूल कर्तव्य का ही सम्पादन/निर्वहन करेंगे तथा पदनाम भी नियमित प्रोन्नति तक यथावत रहेगा।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एम0ए0सी0पी0 के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन वेतनमान की प्रविष्टि सेवापुस्त में करते हुए संबंधित कर्मियों को Seen कराकर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे।
5. यदि भविष्य में वेतन के सत्यापन के क्रम में कोई त्रुटि या गलती पायी जाती है तो प्रदत्त वित्तीय उन्नयन रद्द/संशोधित कर दी जायेगी तथा अधिक/कम भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एकमुश्त कर ली जायेगी। इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
6. इस वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति के प्रस्ताव पर जिला लेखा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त है।

Amir-Kumar

(अमित कुमार)

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
जीपीएफ संख्या: 110071732287

जापांक-XIV-7/2017-18-212 (HRMS)/EAST SINGHBUM

दिनांक-09/03/2018

प्रतिलिपि: जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/उप-कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं वित्त विभागीय पत्र के निदेशानुसार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amir-Kumar

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जापांक-XIV-7/2017-18-212 (HRMS)/EAST SINGHBUM

दिनांक-09/03/2018

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सचिव, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड (ले0ह0.1) डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

Amir-Kumar

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।